162/2022 ... 225

अजन्द अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दल्ला सिंह V/s नारायण सिंह

तारीख	2022/162 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री	

22/7/22

दल्ला सिंह बनाम नारायण सिंह

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट अपीलांट को स्थगन प्रार्थना--पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01लगायत 12 की सह–खातेदारी / सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम होकरा तहसील पुष्कर मे अवस्थित है। जिसका वर्णन अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072–2075 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी अनुसार है।वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस का जमाबंदी अनुसार हक हिस्सा निहित है, जिस पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसका न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु रेस्पोडेन्टस न अपीलांटस को उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतने, बोने निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने एवं लगान जमा कराते समय अर्थात प्रत्येक समय झगडे व फसांद करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नही है अतः भूमि कि किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर का न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित है। वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स न्यायिक विभाजन नही होने से रेस्पोडेन्टस उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा अपीलांटस की खातेदारी की आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान व मुन्तकिल अथवा हस्तांतरण करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो अपीलांटस विवादित आराजी में अपने निहित हिस्से महरूम हो जायेगे जिससे अपीलांटस को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। इसलिए रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं फरमाया जाना वांछित है। अपीलांटस द्वारा उक्त आशय का राजस्व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत किया गया जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के अभिभाषक को उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् सुना जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का मामला नहीं बनने की ईबारत अंकित कर रेस्पोडेन्टस को बिना बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल एवं अन्यत्र हस्तातंरण किए जाने की खुली छूट प्रदान कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांटस ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना उचित नहीं समझने का आदेश पारित कर दिया जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.06.2022 को हक त्यागनामा भी निष्पादित करवा लिया तथा अब वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी एवं प्रार्थीगण द्वारा वाद एवं अपील प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करें, वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने जबरदस्ती अपीलार्थीगण से

राजस्व अपील प्राधिकारी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

162/2022/225   कल्ला v/s नारायण सिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2022/162		
पेशी	श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री	

लगातार

दिनांक 01.6.2022 को हक त्यागनामा निष्पादित करवा लिया है, यदि उक्त हक त्यागनामे के आधार पर अपीलार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अपीलांट को ही होगी। उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 31.05.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी की उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी